

जनपदलिलितपुर की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट

दिनांक : 19–23 जून 2023

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम० से 03 सदस्यीय टीम, पराग वराडपांडे, महाप्रबन्धक ई.एम.टी.एस, अजय कुमार वर्मा, कन्सल्टेंट, एम. एण्ड ई.एं दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, एन. यू.एच.एम.द्वारा जनपद लिलितपुर की स्वारथ्य इकाइयों का सपोर्टिंग सुपरविजन भ्रमण दिनांक 19–23 जून 2023 को किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है—

जिला महिला अस्पताल लिलितपुर—

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	कम्प्युटराइज्ड पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध होने के पश्चात भी कक्ष के बाहर लम्बी कतार पायी गयी जिससे लाभार्थियों को पंजीकरण में विलम्ब हो रहा था।	पंजीकरण कक्ष एवं औषधि वितरण में अतिरिक्त मानव संसाधन की तैनाती हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, डी. एम.एच.सी. एवं बी०पी०एम०
2	लेबर रुम— <ul style="list-style-type: none"> लेबर रुम के काउन्टर पर लगी सेनेटाइजर मशीन खराब पायी गयी समुचित प्रोटोकाल पोस्टर नहीं पाए गये। 7 ट्रेव्यवस्थित नहीं पाये गयी। डिजिटल घड़ी में बैंकअप के लिए सेल नहीं थे। लेबर रुम में रखे फिज का उपयोग स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत सामग्री रखने के लिए भी किया जाना पाया गया बी०एच०टी० अपूर्ण पायी गयी। ट्रे में रखे गये कुछ दवाओं की एक्सपायरी तिथि अत्यन्त नजदीक पायी गयी 	निम्न सुझाव दिये गये— <ul style="list-style-type: none"> लेबर रुम को निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए एवं निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये की जाए। 7 ट्रे मानकानुसार व्यवस्थित किया जाए। डिजिटल घड़ी क्रियाशील किया जाए। फिज का उपयोग व्यक्तिगत सामग्री के लिए न किया जाये। बी०एच०टी० ससमय सही तरीके से भरी जाए। अत्यन्त नजदीक की एक्सपायरी तिथि वाली दवाये लेबर रुम में न रखे जाने का सुझाव दिया गया। 	अधीक्षक एवं लेबर रुम स्टाफ
3	लेबर रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर एवं बैंक खाता आदि सूचनाओं का अंकन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा था।	निर्धारित प्रारूप पर लेबर रुम रजिस्टर तैयार किए जाने एवं समस्त विवरण दर्ज किए जाने का सुझाव दिया गया।	
4	लेबर रुम में ऑटो क्लेव रजिस्टर पर इंडीकेटर्स का अंकन नहीं किया जाना पाया गया	निर्धारित मानकानुसार रजिस्टर अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया	
5	एच.आर.पी. रजिस्टर पर प्रत्येक माह की लाइन लिस्टिंग की समरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पायी गयी।	निर्धारित मानकानुसार रजिस्टर अद्यतन एवं समरी रिपोर्ट तैयार कराये जाने का सुझाव दिया	

		गया	
10	बायो-वेस्ट निस्तारण हेतु मानकानुसार कलर कोडेड बिन्स लागबुक उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो-वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., एवं हास्पिटल मैनेजर
11	अस्पताल में 102 एम्बुलेंस का ड्रापबैक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था एवं एम्बुलेंसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रूप से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	
14	लैब में उपयोग में लाये जा रहे रजिस्टर प्रमाणित नहीं पाये गये।	समस्त रजिस्टर को प्रमाणित कराये जाए एवं पेज संख्या अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	



जिला महिला चिकित्सालय में पंजीकरण एवं औषधि वितरण हेतु लाभार्थियों की लाइन



जिला महिला चिकित्सालय में अधीक्षिका के साथ फीडबैक चर्चा

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखौरा—

क्र सं	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	चिकित्सालय परिसर में सफाई थी। मरीजों एवं तीमारदारों के बैठने हेतु बहुत अच्छी व्यवस्था पायी गयी है।	—	—
2	जेओएस०वाई वार्ड में महिलाओं के लिए बेड सुव्यवस्थित थे। प्रत्येक बेड के ऊपर कालबेल लगायी गयी है जिससे मरीज समस्या होने पर स्टाफ को तत्काल बुला सकें। वार्ड में लगे ए०सी० क्रियाशील पाये गये।	—	—
3	एन.आर.सी. में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार एवं फालोअप का अभिलेखीकरण बहुत अच्छा पाया गया।	—	—

M. Jayesh B.


3	<p>लेबर रुम में—</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रोटोकाल पोस्टर नहीं पाए गये हब कटर खराब था लेबर टेबल अव्यवस्थित थी प्रसव कक्ष में कलर कोडेड बिन्स का उपयोग नहीं किया जाना नहीं पाया गया। ट्रे में रखे गये कुछ इंजेक्शन की एक्सपायरी तिथि अत्यन्त नजदीक पायी गयी 	<ul style="list-style-type: none"> प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया कलर कोडेड बिन्स का उपयोग सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया। अत्यन्त नजदीक की एक्सपायरी तिथि वाली दवाये लेबर रुम में न रखे जाने का सुझाव दिया गया। 	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
4	लेबर रुम रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे थे।	समस्त सूचनाएं भरे जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
5	केस शीट पर पार्टीग्राफ पूर्णतः नहीं अंकित किया जा रहा था।	नर्स मेन्टर एवं सम्बन्धित स्टाफ को केस शीट पूर्णतः भरने का सुझाव दिया गया	
6	गर्भवती महिलाओं को दिये गये एम.सी.पी. कार्ड में समस्त सूचनाओं जैसे आर.सी.एच. नम्बर एवं बैक खाता आदि का अंकन नहीं किया जा रहा था।	समस्त सूचनाएं दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
7	अस्पताल में 102 एम्बुलेंस का ड्रापबैक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था एवं एम्बुलेंसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रूप से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.पी.एम.
8	लैब में बायो-वेस्ट निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो-वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.पी.एम.



सी.एच.सी. में मरीजों एवं तीमारदारों के बैठने की उच्चकोटि की व्यवस्था



सी.एच.सी. में एन.आर.सी. में बच्चों के अच्छा फालोअप



B

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर, गोविन्दनगर, ललितपुर-

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	स्वास्थ्य इकाई में सामान्य ओ०पी०डी० प्रतिदिन की जा रही थी।	ओ०पी०डी० के साथ-साथ ए०एन०सी० की संख्या बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ
2	वेलनेस सम्बन्धी गतिविधियों जैसे योगा एवं साइकिलिंग आदि आयोजित किये जाने के रिकार्ड, फोटो आदि उपलब्ध नहीं पाये गये	वेलनेस सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को आयोजित किये जाने के रिकार्ड, फोटो आदि अद्यतन रिकार्ड इकाई में साफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध रखे जाने का सुझाव दिया गया	
3	चिकित्सालय में एन.सी.डी. के मरीजों की स्क्रीनिंग से सम्बन्धित रिकार्ड अद्यतन नहीं पाये गये।	एन.सी.डी. मरीजों की से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड अद्यतन बनाये जाने का सुझाव दिया गया।	नोडल ए.सी.एम. ओ., प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ
4	औषधियों के डिमाण्ड हेतु मैनुएल तरीके का उपयोग किया जा रहा था।	औषधियों के डिमाण्ड हेतु डी.वी. डी.एस.एम. पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल ए.सी.एम.ओ.

वी.एच.एन.डी. सत्र- उपकेन्द्र सिलगांव के ग्राम पंचायत भवन ललितपुर ग्रामीण में आयोजित हो रहे ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का अनुश्रवण किया गया। सत्र में निम्नलिखित बिन्दु पाये गये—

- ए०एन०एम० एवं आशा कार्यकर्त्री द्वारा सत्र का आयोजन किया जा रहा था। आंगनबाड़ी सत्र में उपस्थिति नहीं पाई गयी।
- सत्र स्थल पर बैनर लगा हुआ था।
- टीकाकरण डॉयू लिस्ट के अनुसार किया जा रहा था।
- गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु पर्याप्त स्थान एवं कर्टेन का लगाया जाना नहीं पाया गया।
- आयरन फोलिक एसिड, एल्बेन्डाजॉल, कैल्सियम कार्बोनेट आदि समस्त दवाये उपलब्ध पायी गयीं।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के बैठक रजिस्टर एवं पासबुक आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।


सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मडावरा—

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	चिकित्सालय परिसर अत्यन्त गन्दा पाया गया। पीने के पानी की व्यवस्था वाले स्थान में गन्दगी पायी गयी।	प्रतिदिन सफाई सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया	अधीक्षक, एवं बी०पी०एम०
1	सी.एच.सी. में उपस्थिति हेतु बायो-मेट्रिक्स का उपयोग नहीं किया जा रहा था।	स्टाफ की उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु अतिशीघ्र बायो-मेट्रिक्स लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	


2	जे०एस०वाई वार्ड गन्दा पाया गया। वार्ड में हवा के आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं थी जिससे मरीजों एवं तीमारदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ए०सी० क्रियाशील नहीं पाये गये।	वार्ड में हवा का आवागमन सुनिश्चित करने हेतुएकझारस्ट फैन लगाये जाने का सुझाव दिया गया। ए०सी० क्रियाशील कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
4	लेबर रुम में- <ul style="list-style-type: none"> • लेबर रुम एवं वाशरुम गन्दा पाया गया • प्रोटोकाल पोस्टर व्यवस्थित नहीं पाए गये • विद्युत की वायरिंग अव्यवस्थित पायी गयी • लेबर टेबल अव्यवस्थित थी • प्रसव कक्ष में कलर कोडेड बिन्स का नियमानुसार उपयोग किया जाना नहीं पाया गया। • ट्रे में रखे गये कुछ इंजेक्शन की एक्सपायरी तिथि अत्यन्त नजदीक पायी गयी 	प्रोटोकाल पोस्टर व्यवस्थित रूप से लगाये जाने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
5	लेबर रुम रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे थे।	कलर कोडेड बिन्स का नियमानुसारउपयोग सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया। अत्यन्त नजदीक की एक्सपायरी तिथि वाली दवाये लेबर रुम में न रखे जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
6	केस शीट पर पार्टीग्राफ पूर्णतः नहीं अंकित किया जा रहा था।	नर्स मेन्टर एवं सम्बन्धित स्टाफ को केस शीट पूर्णतः भरने का सुझाव दिया गया	सम्बन्धित स्टाफ,
7	गर्भवती महिलाओं को दिये गये एम.सी.पी. कार्ड में समस्त सूचनाओं जैसे आर.सी.एच. नम्बर एवं बैंक खाते आदि का अंकन नहीं किया जा रहा था।	समस्त सूचनाएं दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ,
8	अस्पताल में 102 एम्बुलेंस का ड्रापबैक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था एवं एम्बुलेंसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रूप से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.पी.एम.
9	जे.एस.वाई/जे.एस.एस.के अन्तर्गत निःशुल्क दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन नहीं पाया गया	निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का दीवार लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
10	लेबर रुम रजिस्टर से मंत्र एप पर प्रसव की संख्या का मिलान करने पर अन्तर पाया गया एवं प्रत्येक माह की समरी रिपोर्ट अंकित नहीं की जा रही थी	समस्त प्रसवों का ससमय मंत्र एप पर डाटा फीड किये जाने एवं समरी रिपोर्ट तैयार कराये का सुझाव दिया गया।	
11	बायो-वेस्ट निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो-वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.पी.एम.
12	चिकित्सालय में लगे मे लगे हुए समस्त	फायर इस्टिंग्शर तत्काल क्रियाशील	

K
B
R

	फायर इस्टिंगशर क्रियाशील नहीं पाये गये	कराने का सुझाव दिया गया।	
13	रोगी कल्याण समिति (आर०के०एस०) के अभिलेख, बैठक रजिस्टर आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये।	आर०के०एस० के समस्त अभिलेख अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	.अधीक्षक, डी.सी.पी.एम. एवं बी०पी०एम०
14	सी.एच.सी. परिसार मे बी०पी०एच०य० भवन का निर्माण कार्य मानकानुसार प्रतीत नहीं हो रहा था।	बी०पी०एच०य० भवन का निर्माण मानकानुसार सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित नोडल अधिकारी



सी.एच.सी. मडावरा में पेयजल स्थल पर गन्दगी



सी.एच.सी. मडावरा में निर्माणाधीन बी.पी.एच.य० भवन

हेत्थ वेलनेस सेन्टर, बम्हौरी, सी.एच.सी. मडावरा-

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	एच.डब्लू.सी. का कक्ष एवं परिसर अत्यन्त गन्दा था एवं कक्ष में सामान अव्यवस्थित पाया गया	केन्द्र परिसर एवं कक्ष की नियमित सफाई एवं व्यवस्थित बनाने का सुझाव दिया गया	अधीक्षक, डी.सी.पी.एम. एवं बी.सी.पी.एम.
2	सी०एच०ओ० की केन्द्र में निर्धारित समय तक उपस्थिति नियमित नहीं पायी गयी एवं ओ०पी०डी० रजिस्टर प्रमाणित नहीं पाया गया।	सी०एच०ओ० को केन्द्र में निर्धारित समय तक उपस्थित रहकर सेवाएँ देने एवं समस्त रजिस्टर प्रमाणित कराने का सुझाव दिया गया।	
3	वेलनेस सम्बन्धी गतिविधियों जैसे योगा एवं साइकिलिंग आदि आयोजित किये जाने के रिकार्ड, फोटो आदि उपलब्ध नहीं पाये गये	वेलनेस सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को आयोजित किये जाने के रिकार्ड, फोटो आदि अद्यतन रिकार्ड इकाई में साफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध रखे जाने का सुझाव दिया गया	डी.सी.पी.एम, बी.सी.पी.एम. एवं सी०एच०ओ०
4	सी-बैंक फार्म का कोई भी रिकार्ड केन्द्र में नहीं पाया गया।	एन.सी.डी. मरीजों की से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड अद्यतन बनाये जाने का सुझाव दिया गया।	
5	औषधियों के डिमाण्ड हेतु मैनुएल तरीके का उपयोग किया जा रहा था।	औषधियों के डिमाण्ड हेतु डी.वी.डी.एस.एम. पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल ए.सी.एम.ओ.


जनपद स्तर पर बैठक—

उपरोक्त भ्रमण मे निकल कर तथ्यों पर जनपद ललितपुरके मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी एवं अन्यअधिकारियों के साथ फीडबैक एवं सुधार हेतु चर्चा की गयी। भ्रमण टीम द्वारा सी०एच०सी० जखौरा में मरीजों एवं तीमारदारों के लिए अच्छी सुविधाएं पायी गयी जिनसे जनपद स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं सुझाव दिया गया समस्त सी०एच०सी० / पी०एच०सी० प्रभारियों, बी०पी०एम० एवं बी०सी०पी०एम० का ओरिएन्टेशन भ्रमण वहां कराया जाए। आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंशियल मैन्युल में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये जाने तथा मैनुअल का जनपद एवं अधीनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन कराये जाने का सुझाव,बैठक में दिया गया।



मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य के साथ के साथ चर्चा


(दिनेश पाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.


(अजय कुमार वर्मा)
कन्सल्टेंट, एम. एण्ड. ई
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.


(पराग वराडपांडे)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.